

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:-105/अ-59/2017-18/ 11035

बैतूल दिनांक 10/11/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 62 रा. नि. झल्लार द्वारा नायब तहसीलदार झल्लार तहसील भैसदेही के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा बोरगाँव तहसील भैसदेही स्थित खसरा नंबर 36 रकबा 0.522 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में 15-20 परिवार मकान बनाकर निवासरत है, इन परिवारो एवं ग्राम के कुछ भूमिहीन परिवारो के आवासीय पट्टे वितरण हेतु उक्त खसरा नंबर मद परिवर्तन करना आवश्यक है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार टप्पा झल्लार तहसील भैसदेही द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैसदेही के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा बोरगाँव तहसील भैसदेही स्थित खसरा नंबर 36 रकबा 0.522 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 23-1-2018 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्व सम्मति से प्रस्ताव क्रमांक:- 06 पारित किया जाकर, मौजा मौजा बोरगाँव स्थित खसरा नंबर 36 रकबा 0.522 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा बोरगाँव तहसील भैसदेही स्थित खसरा नंबर 36 रकबा 0.522 हेक्टेयर मद भूमि पहाड़ शासकीय मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 में उक्त खसरा नंबर पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(4)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार टप्पा झल्लार/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही द्वारा मौजा बोरगाँव तहसील भैसदेही स्थित खसरा नंबर 36 रकबा 0.522 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./8670, दिनांक 04 अगस्त 2018 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रकरणो को छोड़कर शेष समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार झल्लार /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा बोरगाँव तहसील भैसदेही स्थित खसरा नंबर 36

रकबा 0.522 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलमन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 105/अ-59/2017-18/ 11035
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 17/12/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही की ओर सूचनार्थ।
- 2- नायब तहसीलदार टप्पा झल्लार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत बोरगाँव जनपद पंचायत भैसदेही की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.